रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1977/आश्विन 7, 1899
No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1977/ASVINA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th September 1977

S.O. 692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the second day of October, 1977, as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in relation to agriculture and activities allied to agriculture specified in the Schedule annexed hereto.

THE SCHEDULE

AGRICULTURAL PRODUCTION

1. Cereal crops (paddy, wheat, jowar, bajra, maize, ragi.
2. Pulses (arhar, moong, masur, urd, etc)
3. Raw cotton.
4 Raw jute, mesta.
5 Sann hemp and other kindred fibres.
6 Production of oil seeds such as sesamum, groundnuts, rape mustard, linseed, castor seeds, etc.
7. Sugar cane
8 Roots and tubers, vegetables, pan, singhara, chillies and spices (other than peeper and cardamom) and flowers and parts of plants.

9 Agricultural production not elsewhere classified.

LIVES TOCK PRODUCTION

10 Cattle and goat-breeding, rearing, ranching etc. and production of milk.

11. Rearing of sheep and production of wool

12. Rearing of horses, mules, camels and other pack animals

13 Rearing of pigs and other animals.

14. Rearing of ducks, bens and other birds and production of eggs.

15 Rearing of bees and production of honey and wax.

16. Rearing of silk-worms and production of cocoons and raw silk

17 Rearing of livestock and production of livestock products not elsewhere classified.

AGRICULTURAL SERVICES

18 Pest destroying, spraying, prunning of infected stems.

19 Operation of irrigation systems

20. Animal shearing and livestock services (other than veterinary services).

21 Grading agricultural and livestock products.

22 Horticultural and nursery services

23. Soil conservation.

24. Scientific services like soil testing.

25. Agricultural services not elsewhere classified (like land clearing, land drainıng, etc.)

HUNTING, TRAPPING AND GAME PROPAGATION

26. Hunting, trapping and game propagation for commercial purposes (other than for sport)

FORESTRY AND LOGGING

27. Planting, replanting and conservation of forests

28 Logging—felling and cutting of trees and preparation of rough, round hewn or river logs (including incidental hauling).

29 Production of fuel (including charcoal by burning) by exploitation of forests

30 Gathering of fodder by exploitation of forests

31 Gathering of uncultivated materials such as gums, resins, lac, barks, herbs, wild fruits and leaves by exploitation of forests.

32 Other forest products not elsewhere classified such as mungh

FISHING

33. Ocean, sea and coastal fishing

34 Inland water fishing.

35. Pisciculture—rearing of fish

36 Collection of pearls, conches, shells, sponge and other sea products.

37. Fishing and allied activities not elsewhere classified

[No. S-42013/3/77-WC]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

का० आ० 692 (अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 अक्तूबर, 1977 को उस तारीख के रूप मे नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम इससे

उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध क्रिया-कलापों से सम्बन्धित नियोजनों के बारे में प्रवृत होगा।

अनुसूची

कृषि सम्बन्धी उत्पादन :

1. अनाज की फसलें (धान, गेंहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, इत्यादि)।
2. दालें (अरहर, मूग, मसूर, उड़द आदि)।
3. कच्ची कपास।
4. कच्चा जूट, मेस्ता।
5. सन्न हैम्प और अन्य सजातीय रेशें।
6. तिलहनों का उत्पादन, जैसे तिल, मूगफली, तोरिया, सरसों, अलसी, अरण्डी के बीज, इत्यादि।
7. गन्ना।
8. मूल व कन्द, सब्जिया, पान, सिंघाड़ा, लाल मिर्च और मसाले। (काली मिर्च और इलायची को छाड़कर) और फूल और पौधों के भाग।
9. कृषि सम्बन्धी ऐसे उत्पादन जो अन्यत्र वर्गीकृत नही हैं।

पशु धन उत्पादन :

10. मवेशी और बकरी पालन, पालन पौषण, पशु संबर्धन आदि और दूध का उत्पादन।
11. भेड़े पालन पौषण तथा ऊन का उत्पादन।
12. घोडो, खच्चरों, ऊंटों और अन्य भारवाही पशुओं का पालन पोषण।
13. सुअर और अन्य पशुओं का पालन पौषण।
14. बत्तकों, मुर्गियों और अन्य पक्षियों का पालन पौषण और अण्डों का उत्पादन करना।
15. मधु मक्खियां पालन और शहद व मौम का उत्पादन करना।
16. रेशम के कीड़े पालना, रेशम कोश और कच्चे रेशम का उत्पादन।
17. पशु पालन तथा पशुधन से उत्पादित वस्तुएं जो अन्यत्र वर्गीकृत न हो।

कृषि सम्बन्धी सेवाएं :

18. कीटनाश, छिड़काव, और संक्रमित तनों की छंटाई।
19. सिंचाई प्रणालियो का संचालन।
20. पशुओ के ऊन की कटाई तथा पशु सेवाए (पशु चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर)।
21. कृषि और पशुओ से उत्पन्न वस्तुओं का श्रेणीकरण।
22. बागवानी और नर्सरी सेवाएं।
23. भूमि संरक्षण।
24. भूमि परीक्षण जैसी वैज्ञानिक सेवाएं।

25. कृषि सम्बन्धी ऐसी अन्य सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों (जैसे भूमि की सफाई, भूमि जल निर्गम) ।

आखेट, पाशन और आखेट प्रचार :

26. वाणिजियक प्रयोजनों के लिए शिकार करना, पाशन और आखेट प्रचार (खेलकूद से भिन्न प्रयोजनो के लिए)

वनविद्या और लट्ठे बनाना :

27. वनरोपण, वन पुनरोपण तथा वन संरक्षण ।

28 लट्ठे वृक्ष गिराना और काटना, खुरदरे, गोल चीरे हुए या पानी में बहाए जाने वाले लट्ठे (अनुषगी ढुलाई, सहित) ।

29. वनों के उपयोग द्वारा इधन का उत्पादन (जला कर तैयार किये जाने वाले लकड़ी के कोयले सहित) ।

30. वनों का लाभ उठाते-हुए चारा एकत्र करना ।

31. बनो का लाभ उठाकर, जैसे गोद, विरोजा, लाख, छालें, जड़ी बूटियां, जगली फल व पत्ते जैसे बिना खेती वाली सामग्री एकत्र करना ।

32. अन्य वन पदार्थ जो अन्यत्र वर्गीकृत न हो, जैसे मुध ।

मछली पकड़ना :

33. महासागर, समुद्र मे और समुद्र तट मे मछली पकड़ना ।

34 देश के भीतर पानी में मछली पकडना ।

35. मत्स्यपालन—मछली पालना ।

36. मोतियों, शखों, सीपियो, स्पंजो और समुद्री उत्पादो का संग्रह ।

37. मछली पकड़ना और अन्य सम्बद्ध कार्य जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों ।

[स० एस० 42013/3/77—डब्ल्यू० सी०]

S.O. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in relations to agriculture and activities allied to agriculture specified in the Schedule annexed hereto, culture the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

THE SCHEDULE

AGRICULTURAL PRODUCTION

1. Cereal crops (paddy, wheat, jowar, bajra, maize, ragi, barley, gram, etc.)
2. Pulses (arhar, moong, masur, urd, etc)
3. Raw cotton
4. Raw jute, mesta.
5. Sann hemp and other kind-red fibres
6. Production of oil seeds such as sesamum, groundnuts, rape, mustard, linseed, caster seeds, etc.
7. Sugar cane.

8. Roots and tubers, vegetables, pan, singhara, chillies and spices (other than pepper and, cardamom) and flowers and parts of plants.

9 Agricultural producion not elsewhere classified.

LIVESTOCK PRODUCTION

10 Cattle and goat-breeding, rearing, ranching etc. and production of milk.

11. Rearing of sheep and production of wool.

12. Rearing of horses, mules, camels and other pick animals.

13. Rearing of pigs and other animals.

14. Rearing of ducks, hens and other birds and production of eggs.

15. Rearing of bees and production of honey and wax.

16. Rearing of silk-worms and production of cocoons and raw silk.

17. Rearing of livestock and production of livestock products not elsewhere classified.

AGRICULTURAL SERVICES

18 Pest destroying, spraying, prunning of infected stems.

19. Operation of irrigation systems.

20. Animal shearing and livestock services (other than veterinary services).

21. Grading agricultural and livestock products.

22. Horticultural and nursery services

23. Soil conservation.

24 Scientific services like soil testing.

25 Agricultural services not elsewhere classified (like land clearing, land draining, etc)

HUNTING, TRAPPING AND GAME PROPAGATION

26. Hunting, trapping and game propagation for commercial purposes (other than for spert).

FORESTRY AND LOGGING

27. Planting, replanting and conservation of forests.

28. Logging—felling and cutting of trees and preparation of rough, round hewn or river legs (including incidental hauling)

29. Production of fuel (including charcoal by burning) by exploitation of forests.

30 Gathering of fodder by exploitation of forests.

31. Gathering of uncultivated materials such as gums, resins, lac, barks, herbs, wild fruits and leaves by exploitation of forests

32 Other forest products not elsewhere classified such as mungh.

FISHING

33. Ocean, sea and coastal fishing.

34 Inland water fishing.

35. Pisiculture-rearing of fish

36. Collection of pearls, conches, shells, sponge and other sea products.

37 Fishing and allied activities not elsewhere classified.

[No. S-42013/3/77-WC]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy

का० आ० 693(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि तथा कृषि से सम्बद्धों क्रियाकलापों से सम्बन्धित नियोजनों को, समुचित सरकार, द्वारा एक या अधिक सलाहाकार समिति गठित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है ;

जो इस सम्बन्ध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाए ।

अनुसूची

कृषि सम्बन्धी उत्पादन :

1. अनाज की फसलें (धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना इत्यादि) ।
2. दालें (अरहर, मूंग, मसूर, उड़द आदि) ।
3. कच्ची कपास ।
4. कच्चा जूट, मेस्ता ।
5. सन हेम्प और अन्य सजातीय रेशें ।
6. तिलहनों का उत्पादन, जैसे, तिल, मूगफली, तोरिया, सरसों, अलसी अरण्डी के बीच, इत्यादि ।
7. गन्ना ।
8. मूल व कन्द, सब्जियां, पान, सिंघाड़ा, लाल मिर्च और मसाले (काली मिर्च और इलायची को छोड़कर) और फूल और पौधों के भाग ।
9. कृषि संबंधी जैसे उत्पादन जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं ।

पशु धन उत्पादन :

10. मवेशी और बकरी पालन, पालन पोषण, पशु संवर्धन आदि और दूध का उत्पादन ।
11. भेड़ें पालन पोषण तथा ऊन का उत्पादन ।
12. घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और अन्य भारवाही पशुओं का पालन पोषण ।
13. सुअर और अन्य पशुओं का पालन पोषण ।
14. बत्तखें, मुर्गियां और अन्य पक्षियों का पालन पोषण और अण्डों का उत्पादन करना ।
15. मधु मक्खियां पालन और शहद व मोम का उत्पादन करना ।
16. रेशम के कीड़े पालना, रेशम कीड़ा और कच्चे रेशम का उत्पादन ।
17. पशुपालन तथा पशुधन से उत्पादित वस्तुएं जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों ।

कृषि सम्बन्धी सेवाएं :

18. कीटनाश, छिड़काव और संक्रमित तनों की छंटाई ।
19. सिंचाई प्रणालियों का संचालन ।
20. पशुओं के ऊन की कटाई तथा पशु सेवाएं (पशु चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर) ।
21. कृषि और पशुओं से उत्पन्न वस्तुओं का श्रेणीकरण ।
22. बागवानी और नर्सरी सेवाएं ।
23. भूमि संरक्षण ।
24. भूमि परीक्षण जैसी वैज्ञानिक सेवाएं ।

25. कृषि संबंधी ऐसी अन्य सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों (जैसे भूमि की सफाई, भूमि जल निर्गम)।

आखेट, पाशन और आखेट प्रचार :

26. वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए शिकार करना, पाशान और आखेट प्रचार (खेलकूद से भिन्न प्रयोजनों के लिए)।

वनविद्या और लट्ठे बनाना :

27. वनरोपण, वन पुनरोपण तथा वन संरक्षण।

28. लट्ठे वृक्ष गिराना और काटना, धुरचरे, गोल चीरे हुए या पानी में बहाए जाने वाले लट्ठे (अनुपंगी ढुलाई, सहित)।

29. वनों के उपयोग द्वारा ईंधन का उत्पादन (जला कर तैयार किये जाने वाले लकड़ी के कोयले सहित।।

30. वनों का लाभ उठाते हुए चारा एकत्र करना।

31. वनों का लाभ उठाकर, जैसे गोंद, विरोजा, लाख, छालें, जड़ी बूटियां, जंगली फल व पत्ते जैसे बिना खेती वाली सामग्री एकत्र करना।

32. अन्य वन पदा जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों, जैसे मधु।

मछली पकड़ना :

33. महासागर, समुद्र मे और समुद्र तट में मछली पकडना।

34. देश के भीतर पानी मे मछली पकड़ना।

35. मत्स्यपालन मछली पालना।

36. मोतियों, शंखों, सीपिया, स्पजों और समुद्री उत्पादों का संग्रह।

37. मछली पकड़ना और अन्य सम्बद्ध कार्य जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों।

[सं० एस०—42013/3/77—डब्ल्यू० सी०]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977